न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

मि0न0 – 40/2018

अनवान :

1. रणधीर सिह पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी अमरपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– **प्रार्थी**

बनाम

1. राजबीर
2. प्रभुराम
3. मांगेराम

पिसरान अमरसिंह जाति जाट निवासीगण गांव अमरपुरा तहसील भादरा।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए
राज.काश्त.अधि. 1955 एवं सपठित
धारा 8(2)राज. कोलोनाईजेसन कण्डीशन एक्ट

उपस्थित : *वकील श्री दीवानसिह– प्रार्थी*
वकील श्री योगेश शर्मा– अप्रार्थीगण

निर्णय ***दिनांक :*** 7.9.18

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि रोही अमरपुरा के खाता संख्या 88/90 के मु.न. 17, 27, 28, 29, 30, 40, 80, 81, 94, 95 की कुल 12.4210 हैक्टर बारानी खातेदारी कृषि भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी के हिस्सा में मु.न. 28 के किला नं. 12, 13, 14/1, 17/1, 18 ता 20, 23 मु.न. 30 के किला नं. 3/1, 7, 8 मु. न. 81 का किला नं. 22/2, मु.न. 94 के किला नं. 2/2 कुल रकबा 2.922 हैक्टर बारानी कृषि भूमि स्थित है जो प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त खाता के मु.न. 17 के किला नं. 24, 25 मु.न. 28 के किला नं. 11, मु.न. 29 के किला नं. 7, 8, 14 ता 16 मु.न. 30 के किला नं. 3/2, 4, 5/1 मु.न. 81 के किला नं. 21/2, 22/1, मु.न. 94 के किला नं. 1/2, 2/1, कुल रकबा 2.947 हैक्टर बारानी अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उपरोक्त खाता के मु.न. 28 के किला नं. 14/2,, 16 मु.न. 29 के किला नं. 1, 9 ता 13 मु.न. 30 के किला नं. 5/2, 6, 14, 15 मु.न. 80 के किला नं. 25/2, मु.न. 81 के किला नं. 21/1, मु.न. 95 के किला नं. 5/2, मु.न. 94 के किला नं. 1/1 कुल रकबा 2.973 हैक्टर बारानी कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। तथा मु.न. 27 के किला नं. 18/2, 19/2, 20 ता 22, 23, 25/1, मु.न. 28 के किला नं. 17/2, 24, 25, मु.न. 40 के किला नं. 2, 3 मु.न. 80 के किला नं. 25/1, मु.न. 95 के किला नं. 5/1 कुल रकबा 2.909 हैक्टर बारानी खातेदारी कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)

पक्षकारान का प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में दर्ज भूमि का खाता विभाजन करते समय, विभाजन के बाद पक्षकारान के हिस्सा में आई भूमि में पहुचने के लिए रास्ता का अंकन करवाना सहबन से रह गया। खाता विभाजन के बाद प्रार्थी को अपने हिस्सा में पंहुचने के लिए प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को कहा तो वे संलग्न नक्शा में दर्शाये अनुसार रास्ता स्वीकृत करवाने के लिए सहमत हो गए। संलग्न नक्शा में रास्ता मु.न. 28 के किला नं. 11 व 12, मु.न. 29 के किला नं. 11 ता 15 के उतरी ओर चिपते हुए एक गठठ्ा व मु.न. 30 के किला नं. 6 के पश्चिमी ओर तथा किला नं. 15 के उतरी ओर से भी 1–1 गठठ्ा रास्ता स्वीकृत करवाने के लिए सहमत हो गए।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामिल होने के उपरान्त प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 ने इस न्यायालय में उपस्थित आकर लोक अदालत की भावना से राजीनामा एवं जवाब आवेदन पेश किया। अप्रार्थी सं0 4 पेरोकार राज फार्मल पार्टी होने के कारण जबाब की आवश्यकता नहीं है।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई।

हस्तगत प्रकरण में हमारे द्वारा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी ने रोही अमरपुरा के खाता संख्या 88/90 की अपनी भूमि में आवागमन के लिए रास्ता स्वीकृति करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। चूंकि प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो चुका है अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251ए सपठित धारा 8(2) कॉलोनाईजेशन एक्ट का स्वीकार किया जाता है तथा अमरपुरा बारानी के खाता सं0 88/90 के मु.न. 28 के किला नं. 11 व 12, मु.न. 29 के किला नं. 11 ता 15 के उतरी ओर चिपते हुए एक–एक गटठ्ा व मु.न. 30 के किला नं. 6 के पश्चिमी ओर तथा किला नं. 15 के उतरी ओर भी एक–एक गटठ्ा (8–1/4फुट चौड़ा) रास्ता मंजूर किया जाता है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता का अंकन किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 7.9.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़